

**संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
छत्तीसगढ़**

विभागाध्यक्ष कार्यालय ब्लॉक-1, इन्द्रावती भवन, तृतीय तल, नया रायपुर
क्रमांकएफ:1-187/2016/विज्ञप्त/196 नया रायपुर, दिनांक 09-02-2017

:-आदेश:-

छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें की विज्ञप्ति क्रमांक एफ1-187/2015/विज्ञप्त/2319 दिनांक 15.11.2016 एवं क्रमांक एफ 1-187/2015/विज्ञप्त/ 2326 दिनांक 18.11.2016 के अनुक्रम में माह जनवरी 2017 के दौरान प्राप्त होने वाले आवेदनों का माह फरवरी के प्रथम सप्ताह दिनांक 04.02.2017 संविदा नियुक्ति हेतु वाकिंग इन्टरव्यू में उपस्थित अभ्यर्थी के की योग्यता अर्हाता संबंधी दस्तावेजों का परीक्षण उपरान्त चयनसमिति अनुशंसा अनुरूप संविदा नियुक्ति के लिए पात्र निम्नांकित उम्मीवारों को (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 एवं विज्ञापन में वर्णित प्रावधान अनुसार नीचे दर्शित शर्तों पर दो वर्ष के लिए पोस्ट ग्रेजुएट चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधिकारी पद पद संविदा नियुक्ति नीचे दर्शित शर्तों के तहत प्रदान की जाती है:-

मेरिट क्रमांक	आवेदक का नाम	पिता/पति का नाम	लिंग	पत्र व्यवहार का पता	वर्ग	अतिरिक्त योग्यता पीजी विषय	छानबिन चयन समिति की अनुशंसा	प्रस्तावित पदस्थापना स्थान
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	डॉ. सागर मीना	श्रीराम मीना	M	एफ-12 सेक्टर-2 अवंति विहार तेलीबांधा, रायपुर	UR	MBBS	पात्र	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, खरोरा जिला रायपुर
2	डॉ. हरिश नायक	श्री तेजराम नायक	M	गांव -गिन्दोला, पी ओ-नहरपाली तह. - खरसीयां जिला -रायगढ़ छ.ग. पिन-496001	OBC	MBBS	पात्र	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चपले जिला रायगढ़
3	डॉ सीमांत कुमार राय	श्री हीरालाल राय	M	द्वारा-श्री एच.एल. राय वार्ड न.-15 बहरापारा पेन्ड्रा जिला बिलासपुर छ.ग. पिन- 495119	OBC	MBBS	पात्र	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मरवाही जिला बिलासपुर
4	डॉ. प्रशांत गुप्ता	श्री रविशंकर गुप्ता	M	क्वा.नं-95 द्वारा- श्री रविशंकर गुप्ता डीटीओ फारेस्ट कॉलोनी वेयर हाउस के पास जरहाभाठा चौक जिला- बिलासपुर छ.ग पिन-495001	UR	MBBS	पात्र	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पाली जिला कोरबा

5	डॉ. अपूर्व सिंह ठाकुर	डॉ. अमर सिंह ठाकुर	M	पुराना उच्चन्यायालय रोड भारतीय स्टेट बैंक प्रधानशाखा के पास बिलासपुर जिला-बिलासपुर पिन-495001	UR	DMRD (Radiology)	पात्र	जिला अस्पताल बिलासपुर
6	डॉ. नारायण सिंह	श्री जगमोहन सिंह	M	भाटागांव, बलौदाबाजा जिला बलौदाबाजार छ.ग. पिन-493222	UR	MBBS	पात्र	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बिलाईगढ़ जिला बलौदाबाजार
7	डॉ. मनीष यादव	श्री मोहन लाल यादव	M	भगवती भवन वार्ड नं. 28 शमियाना पचरी पता दुर्ग जिला दुर्ग छ.ग. पिन 7491001	OBC	MBBS	पात्र	जिला चिकित्सालय बालोद
8	डॉ. विलशन कुजुर	श्री ज्वेल कुजुर	M	एम-235 पदमनाभपुर जिला दुर्ग छ.ग. पिन-491001	ST	MBBS	पात्र	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अम्बागढ़ चौकी जिला राजनांदगांव
9	डॉ. शीतल दुग्गा	श्री महेन्द्र सिंग दुग्गा	M	नयापारा अंतागढ़ जिला - कांकेर छ.ग. पिन- 494665	ST	MBBS	पात्र	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अंतागढ़ जिला कांकेर
10	डॉ. अर्चना मिश्रा	श्री एस.के. मिश्रा	F	जपनद कार्यालय के पास प्रतापुर रोड अम्बिकापुर जिला- सरगुजा छ.ग. पिन- 497001	UR	MBBS	पात्र	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बतौली जिला सरगुजा

उपर्युक्त नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अधीन होगी :-

1. संविदा नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी।
2. छ.ग. शासन के संविदा भर्ती नियम (छ.ग. सिविल सेवा) संविदा नियुक्ति नियम 2012 के अंतर्गत नियुक्ति किया जावेगा।
3. संविदा सेवा नियुक्ति के नियम 2012 एवं विज्ञापन पर प्रसारित शर्तों के अधीन शासित होंगे।
4. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के कंडिका-15 की (अन्य शर्तें) लागू होगी।
5. प्रतिमाह एक मुश्त मानदेय होगा:-
6. चिकित्सा अधिकारी (एम.बी.बी.एस, योग्यता धारी) संविदा नियुक्त को एक मुश्त देय राशि का विवरण इस प्रकार है :- सामान्य क्षेत्र अन्तर्गत रुपये 35000/- अनुसूचित क्षेत्र की स्वास्थ्य संस्थाओं में रुपये 40000/- + उसके अतिरिक्त सी.आर.एम.सी. के तहत कमशः चिन्हित कठिन क्षेत्र के लिए रुपये 20000/- कठिनतम क्षेत्र के लिए रुपये 25000/- तथा पहुंच विहिन संस्थाओं में कार्य करने पर रुपये 30000/- मासिक राशि एकमुश्त संविदा राशि के अतिरिक्त देय होगी।



चिकित्सा अधिकारी (पोस्टग्रेज्यूवेट पी.जी.डिग्री—डिप्लोमा योग्यता धारी) संविदा नियुक्त को एक मुस्त देय राशि का विवरण इस प्रकार है :- सामान्य क्षेत्र अन्तर्गत रुपये 35280/- अनुसूचित क्षेत्र की स्वास्थ्य संस्थाओं में रुपये 40000/- + उसके अतिरिक्त सी.आर.एम.सी. के तहत कमशः चिन्हित कठिन क्षेत्र के लिए रुपये 25000/- कठिनतम क्षेत्र के लिए रुपये 35000/- तथा पहुंच विहिन संस्थाओं में कार्य करने पर रुपये 30000/- मासिक राशि एकमुस्त संविदा राशि के अतिरिक्त देय होगी ।

7. कर (टी.डी.एस.) की कटौती नियमानुसार की जावेगी।
8. संविदा सेवा अवधि के दौरान प्रतिमाह एक मुस्त मानदेय व अन्य राशि प्रावधानित अनुसार देय होगी, इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार का भत्ता/सुविधा देय नहीं होगा।
9. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में 18 दिनांक का आकस्मिक अवकाश एवं 03 दिनों का ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी। वर्ष के मध्य में नियुक्त होने अथवा आधार पर किया जावेगा। गणना में अपूर्ण दिवस को आगामी पूर्ण दिवस में पूर्णांकित किया जावेगा। विश्रामावकाश विभागों में कैलेण्डर वर्ष का तात्पर्य 12 माह के वास्तविक सेवा से लगाया जावेगा। संविदा नियुक्ति एक बार में 01 वर्ष के लिए ही की जा सकती है।
10. संविदा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का मानदेय देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
11. सेवा समाप्ति पश्चात् संविदा शासकीय सेवक के रूप में दी गई सेवा अवधि हेतु किसी प्रकार का पेंशन, उपादान या मृत्यु लाभ आदि की पात्रता नहीं होगी।
12. चयनित अभ्यर्थी द्वारा कार्यभार ग्रहण करते समय जिला मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य उपयुक्तता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
13. कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् नियुक्त कर्मचारी को पदस्थापना स्थल पर ही मुख्यालय बनाकर निवास करना होगा, किसी भी परिस्थिति में मुख्यालय के अतिरिक्त अन्यत्र स्थानों से आना-जाना अनुमत्य नहीं होगा तथा ऐसा पाये जाने पर आवश्यक उचित कार्यवाही की जावेगी।
14. संविदा पर नियुक्त अधिकारी का वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रत्येक वर्ष जिला नियंत्रण अधिकारी द्वारा किया जावेगा, इसका प्रतिवेदन आवश्यकतानुसार जिला स्वास्थ्य नियंत्रण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।
15. संविदा नियुक्ति समान्यतः स्वीकृत कार्ययोजना की स्वीकृति के अनुसार दो वर्ष के लिये होगी। विभाग आवश्यकता के आधार पर कार्य का मूल्यांकन (Prefomance Appraisal) कर निर्धारित मापदण्डों में ऊपर होने पर संविदा पर कार्यरत अधिकारी की उपयुक्तता का आंकलन कर संविदा

नियुक्ति की अवधि को एक बार में एक वर्ष के लिए बढ़ाते हुये कार्य की अवधि में नवीनीकरण का निर्णय शासन ले सकेगा। संविदा नियुक्ति की अवधि समाप्ति पर संविदा सेवा स्वमेव समाप्त मानी जावेगी। इसके लिए पृथक से सूचना नहीं दी जावेगी।

16. जिला में पदस्थापना के दौरान संविदा नियुक्त अधिकारी को संविदा शर्तों के तहत नियुक्तकर्ता/नियंत्रणकर्ता के साथ अनुबंध करना होगा। संविदा नियुक्ति आदेश जारी होने पर संविदा पर नियुक्ति व्यक्ति को प्रथम नियुक्ति स्थल एवं पदस्थापना उपरांत किसी अन्य स्थल/पद पर स्थानांतरण मात्र से कोई नवीन करार निष्पादित करना आवश्यक नहीं होगा।
17. कलेक्टर कार्यालय द्वारा जारी आदेश एवं निर्देशों का पालन आपके द्वारा किया जाना अनिवार्य होगा, एवं उच्चकार्यालय द्वारा समय-समय पर दी जाने वाली सुविधाएँ लागू होगी।
18. नियुक्ति आदेश प्राप्ति उपरांत अपनी पदांकन स्थल में 15 दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा अन्यथा आपका संविदा नियुक्ति स्वमेव समाप्त माना जावेगा।
19. नियुक्त/शर्तों में शिथलीकरण का अधिकार संचालक स्वास्थ्य सेवाएँ छत्तीसगढ़ रायपुर को होगा।
20. छत्तीसगढ़ मेडिकल कॉउंसिल से रजिस्ट्रेशन तीन माह के अंदर संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएँ (विज्ञप्त शाखा) एवं अपने जिला नियंत्रण कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। यदि निर्धारित समय सीमा में पंजीयन प्रस्तुत करने में किन्ही कारणों से असमर्थ रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में प्रदान की जा रही संविदा सेवाएँ स्वयंमेव समाप्त हो जावेगी इसके लिए पृथक से आदेश की आवश्यकता नहीं होगी।



संचालक
स्वास्थ्य सेवायें
छत्तीसगढ़


पृ. क्रमांकएफ:1-187/2016/विज्ञप्त/197

नया रायपुर, दिनांक 09-02-2017

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. निज सहायक, मान. मंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर ।
2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर ।
3. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें छत्तीसगढ़ ।
4. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़ ।
5. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी छ.0ग0 ।

6. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक छ.0ग0 ।
7. समस्त कोषालय अधिकारी छ0ग0
8. संबंधित खण्ड चिकित्सा अधिकारी सामु.स्वा.केन्द्र.छ0ग0
9. संबंधित डॉ.....संविदा चिकित्सक-----
-----की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
10. आदेश फाईल ।


संचालक
स्वास्थ्य सेवायें
छत्तीसगढ़